Reporters Required!
For
Delhi, Haryana, UP, Ludhiana, Shimla, Bihar, Jammu, Jaipur Amritsar, Bathinda,
Call/WhatsApp:
+91-9157875000
+91-9041488440
Email:
azadvaani65@gmail.com

Monthly Hindi/English Newspaper
Published from SAS Nagar (Mohali)

Azad वाणी

NEWS • VIEWS • ANALYSIS

RNI No.
PBBIL/26/A0779

जंतर-मंतर पर छात्रों से कथित पुलिस कार्रवाई लोकतंत्र पर हमला, 48 घंटे में शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग: विवेक हंस गरचा

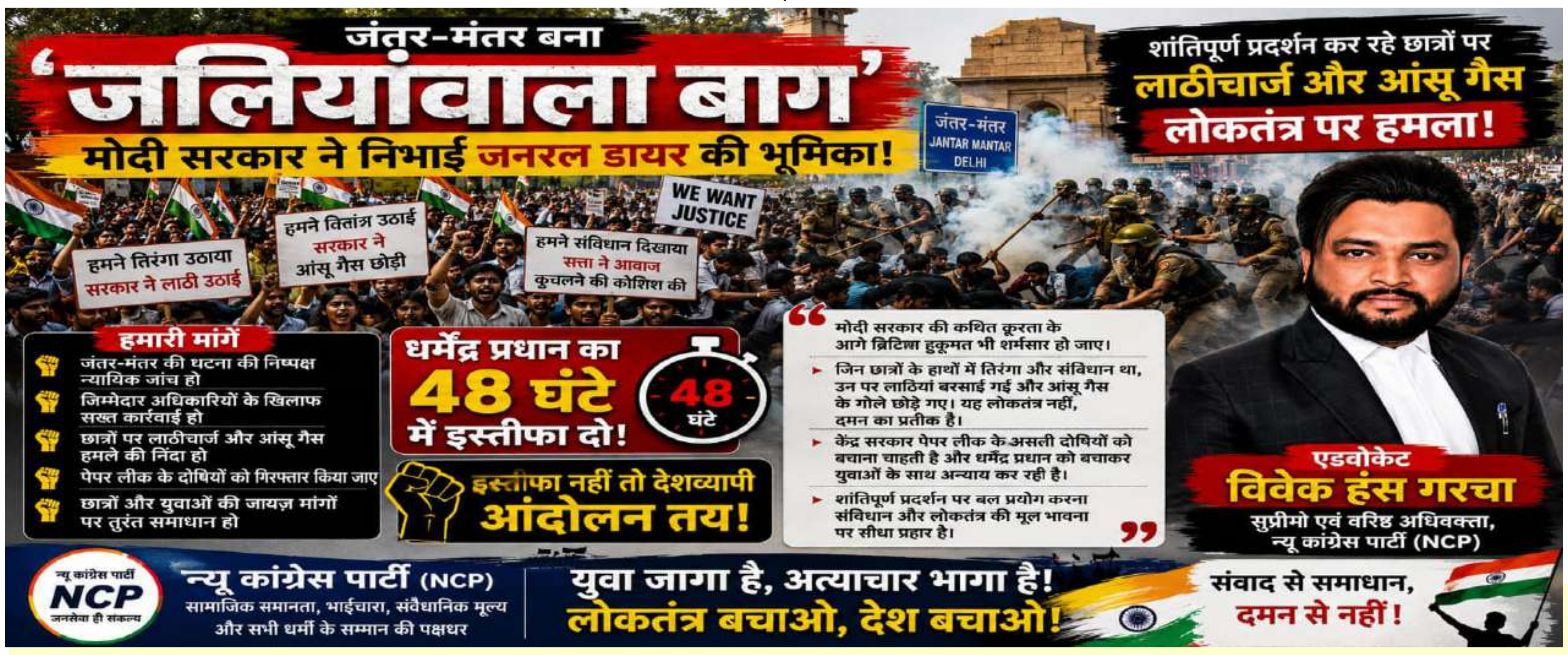

चंडीगढ़:न्यू कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के सुप्रीमो एवं वरिष्ठ अधिवक्ता एडवोकेट विवेक हंस गरचा ने जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों और युवाओं के खिलाफ कथित पुलिस कार्रवाई की कड़ी निंदा करते हुए इसे लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला बताया है। उन्होंने आरोप लगाया कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया, जो लोकतंत्र की मूल भावना के विपरीत है।

गरचा ने आरोप लगाया कि जंतर-मंतर की घटना ने देश के लोकतांत्रिक इतिहास पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि जिन छात्रों के हाथों में तिरंगा और संविधान था, उनके साथ बल प्रयोग किया गया। उनके अनुसार, सरकार को छात्रों की मांगों को सुनने और उनका समाधान निकालने के लिए संवाद का रास्ता अपनाना चाहिए था।

एनसीपी सुप्रीमो ने कहा कि देश का युवा रोजगार, शिक्षा और अपने भविष्य को लेकर चिंतित है, लेकिन सरकार उनकी आवाज सुनने के बजाय विरोध प्रदर्शनों को दबाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि पेपर लीक जैसे मामलों के वास्तविक दोषियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई नहीं की जा रही और युवाओं के हितों की अनदेखी की जा रही है।

एडवोकेट विवेक हंस गरचा ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए पद छोड़ने की मांग की। उन्होंने कहा कि यदि 48 घंटे के भीतर उनका इस्तीफा नहीं लिया गया, तो न्यू कांग्रेस पार्टी देशभर में लोकतांत्रिक तरीके से व्यापक आंदोलन शुरू करेगी।

गरचा ने कहा कि भारतीय संविधान प्रत्येक नागरिक को शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात रखने और विरोध दर्ज कराने का अधिकार देता है। यदि शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर भी बल प्रयोग किया जाता है, तो यह लोकतांत्रिक मूल्यों और संवैधानिक अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है।

उन्होंने युवाओं से संयम बनाए रखने और अपने अधिकारों के लिए केवल संवैधानिक एवं लोकतांत्रिक तरीकों से संघर्ष करने की अपील की। उन्होंने कहा कि न्यू कांग्रेस पार्टी सामाजिक समानता, भाईचारे, संवैधानिक मूल्यों और सभी धर्मों के सम्मान में विश्वास रखती है तथा ऐसे भारत के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है, जहां सभी नागरिकों को समान अवसर और न्याय मिल सके।

गरचा ने अंत में मांग की कि जंतर-मंतर की घटना की निष्पक्ष एवं न्यायिक जांच कराई जाए, यदि किसी स्तर पर नियमों का उल्लंघन हुआ है तो जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कानून के अनुसार कार्रवाई की जाए तथा छात्रों और युवाओं की मांगों का समाधान बातचीत और संवाद के माध्यम से निकाला जाए।

भंडारण संकट से निपटने को पंजाब ने केंद्र से हर माह 12 लाख मीट्रिक टन अनाज उठाव की मांग दोहराई

चंडीगढ़, 21 जुलाई: आगामी खरीफ खरीद सीजन 2026-27 और रबी सीजन 2027-28 की तैयारियों के मद्देनजर पंजाब सरकार ने केंद्र से हर माह कम से कम 12 लाख मीट्रिक टन गेहूं और धान की लिफ्टिंग सुनिश्चित करने की मांग दोहराई है, ताकि नई फसल के भंडारण के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध हो सके। कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री लाल चंद कटारूचक्क और जल संसाधन मंत्री बरिंदर कुमार गोयल के मंत्री समूह ने अनाज भवन, चंडीगढ़ में समीक्षा बैठक कर खरीद और भंडारण व्यवस्थाओं का जायजा लिया।

बैठक में बताया गया कि जनवरी से जुलाई 2026 तक पंजाब से 75.67 लाख मीट्रिक टन अनाज की लिफ्टिंग हुई, जबकि राज्य की कुल कवर्ड स्टोरेज क्षमता 181 लाख मीट्रिक टन और खुली भंडारण क्षमता 68 लाख मीट्रिक टन है।

पंजाब कैबिनेट के बड़े फैसले: 3 अगस्त से विधानसभा सत्र, एसआई की सीधी भर्ती खत्म, स्टार्टअप सेंटर को मंजूरी

चंडीगढ़, 21 जुलाई: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अध्यक्षता में हुई पंजाब कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसलों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने 16वीं पंजाब विधानसभा का 13वां सत्र 3 से 10 अगस्त 2026 तक बुलाने की सिफारिश की है। साथ ही, पंजाब पुलिस नियम, 1934 में संशोधन कर सब-इंस्पेक्टर (एसआई) पद पर सीधी भर्ती समाप्त करने का फैसला लिया गया।

अब सीधी भर्ती केवल एएसआई रैंक पर होगी, जिससे थानों में अधिक प्रशिक्षित और उच्च-शिक्षित जांच अधिकारी उपलब्ध हो सकेंगे। कैबिनेट ने 'विकसित भारत-गारंटी फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड लाइवलीहुड मिशन (ग्रामीण)' योजना को 1 जुलाई 2026 से लागू करने के लिए कैबिनेट उप-समिति के गठन को भी मंजूरी दी। यह केंद्र प्रायोजित योजना 60:40 के अनुपात में केंद्र और राज्य के साझा वित्त पोषण से संचालित होगी।

एसआईआर-2026: बाघापुराना ने हासिल किया 100% डिजिटलीकरण, मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने चुनाव टीम को दी बधाई

चंडीगढ़, 21 जुलाई: पंजाब में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर)-2026 अभियान के तहत मोगा जिले का बाघापुराना विधानसभा क्षेत्र गणना प्रपत्रों का 100 प्रतिशत डिजिटलीकरण पूरा करने वाला राज्य का पांचवां विधानसभा क्षेत्र बन गया है।

इस उपलब्धि पर पंजाब की मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) अनिंदिता मित्रा ने बाघापुराना की चुनाव टीम को बधाई देते हुए इसे चुनाव अमले की प्रतिबद्धता, समर्पण और मिशन मोड में किए गए कार्य का उत्कृष्ट उदाहरण बताया।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि घर-घर गणना चरण के दौरान निर्धारित समय-सीमा से पहले ही सभी गणना प्रपत्रों का डिजिटलीकरण पूरा करना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

उन्होंने इस सफलता का श्रेय जिला निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों (ईआरओ), सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों (एईआरओ) तथा बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) के समन्वित प्रयासों को दिया। उन्होंने विश्वास जताया कि पंजाब के सभी जिले भी तय समय के भीतर डिजिटलीकरण का कार्य पूरा कर लेंगे।

श्रीमती मित्रा ने कहा कि एसआईआर-2026 का उद्देश्य मतदाता सूची को अधिक सटीक, पारदर्शी और अद्यतन बनाना है। इसके लिए बूथ स्तर पर घर-घर जाकर मतदाताओं से गणना प्रपत्र एकत्र किए जा रहे हैं और उन्हें डिजिटल रिकॉर्ड में परिवर्तित किया जा रहा है, ताकि भविष्य में मतदाता सूची तैयार करने की प्रक्रिया अधिक प्रभावी और त्रुटिरहित हो सके।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने राज्य के सभी पात्र मतदाताओं से अपील की कि यदि उन्होंने अभी तक अपने गणना प्रपत्र संबंधित बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) के पास जमा नहीं कराए हैं, तो वे बिना किसी देरी के ऐसा करें।

उन्होंने स्पष्ट किया कि समय पर प्रपत्र जमा कराने से ही प्रारूप मतदाता सूची में नाम शामिल किया जाना सुनिश्चित किया जा सकेगा।

उन्होंने कहा कि एसआईआर-2026 के सफल क्रियान्वयन में नागरिकों की सक्रिय भागीदारी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी चुनाव अधिकारियों की मेहनत। इसलिए सभी मतदाताओं को इस प्रक्रिया में सहयोग करना चाहिए, ताकि राज्य में स्वच्छ, सटीक और विश्वसनीय मतदाता सूची तैयार की जा सके।

पंजाब में गर्भावस्था के दौरान भीषण गर्मी से बढ़ रहा नवजातों का खतरा, अध्ययन में कम जन्म वजन और समयपूर्व प्रसव का खुलासा

चंडीगढ़:गर्भावस्था के दौरान लगातार पड़ने वाली भीषण गर्मी नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बनती जा रही है। एक नए वैज्ञानिक अध्ययन में पाया गया है कि गर्भवती महिलाओं के अत्यधिक गर्मी के संपर्क में रहने से कम वजन वाले शिशु के जन्म और समय से पहले प्रसव का जोखिम बढ़ जाता है। पंजाब के लिए यह निष्कर्ष विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि राज्य का बड़ा हिस्सा गर्म और आर्द्र (नमी वाले उपोष्णकटिबंधीय) जलवायु क्षेत्र में आता है, जिसे अध्ययन में उच्च जोखिम वाला क्षेत्र बताया गया है।

"इफेक्ट ऑफ एक्सट्रीम हीट स्ट्रेस ऑन एडवर्स प्रेगनेंसी आउटकम्स इन इंडिया" शीर्षक से प्रकाशित यह अध्ययन वैज्ञानिक पत्रिका एनवायरमेंटल रिसर्च कम्युनिकेशन में प्रकाशित हुआ है। शोधकर्ताओं ने वर्ष 2015 से 2020 के बीच भारत में दर्ज 2,09,266 जन्मों का विश्लेषण किया और प्रत्येक मामले को गर्भावस्था के दौरान स्थानीय गर्मी की स्थिति से जोड़ा।

अध्ययन में केवल तापमान नहीं, बल्कि लगातार पड़ने वाले 'झुलसाने वाले दिनों' की संख्या को आधार बनाया गया। ऐसे दिन वे माने गए, जब इंडिया हीट इंडेक्स किसी क्षेत्र की दीर्घकालिक जलवायु के 90वें प्रतिशत से अधिक रहा। शोध में सामने आया कि गर्भावस्था के दौरान प्रत्येक अतिरिक्त लगातार भीषण गर्मी वाला दिन कम जन्म वजन वाले शिशु के जन्म का खतरा लगभग 1 प्रतिशत तक बढ़ा देता है।

शोध के अनुसार, गर्भावस्था की पहली तिमाही में अत्यधिक गर्मी का संपर्क समयपूर्व प्रसव की संभावना बढ़ाता है, जबकि दूसरी तिमाही में यही गर्मी कम वजन वाले शिशु के जन्म के जोखिम को बढ़ाती है। चिकित्सकीय मानकों के अनुसार 2,500 ग्राम से कम वजन वाले शिशु को कम जन्म वजन वाला माना जाता है।

अध्ययन में सामाजिक असमानता का पहलू भी सामने आया। जिन महिलाओं की शिक्षा नहीं थी या केवल प्राथमिक स्तर तक थी, उनमें बेहतर शिक्षित महिलाओं की तुलना में गर्मी के कारण कम वजन वाले शिशु या मृत जन्म का खतरा अधिक पाया गया।

herbegy™

Think pure think herbal

PREMIUM SPICES RANGE

Pure Spice. Rich Flavour.

PURE | AROMATIC | PREMIUM QUALITY

Advertisement

For Dealer Inquiry Contact:

727-515-0015

Printed by: Desh Sewak Printers Limited, Sector-29-D, Chandigarh – 160030 and Published by: Shafiur Rahman from #2111 SF, TDI City, Sector-110, Mohali, Sahibzada Ajit Singh Nagar, Punjab – 140307. Owner, Publisher & Chief Editor: Shafiur Rahman. Title Verification Number: PBBIL/26/A0779. Periodicity: Monthly.